9/2025 सरकार/योगेश खन्ना

23/01/26 पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) मावा पेड़े (मावा, शक्कर व पिस्ता से बने) विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अत 1. श्री योगेश खन्ना पुत्र श्री प्रेमरतन खन्ना उम्र 42 वर्ष जाति खन्ना निवासी योगेश स्वीट्स, एनएच 12 दरा स्टेशन जिला कोटा (खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर) मैसर्स– योगेश स्वीट्स, एनएच 12 दरा स्टेशन जिला कोटा पर 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **चन्द्रवीर सिंह** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

Deposit vide R. No. 696985/0.24 Dated 23/01/2026 Rs. 10,000/- Ten Thousand only

कैशियर
कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा (राज.) ★